तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/04/18	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/05/18 को पेश हो।	
25/05/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत माडपुरा बरवाला में रखी गई प्रार्थी वकील उप. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडवोकेट बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी की अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाघड को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर मुताबिक जमाबन्दी करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली मिसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु

राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, माडपुरा बरवाला)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 460 दिनांकः– 25 / 05 / 2018

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. श्री प्रेमाराम पुत्र आसुराम वगैरा 4, जातियान्–जाट, निवासीयान्–कपुरड़ी, तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर		1. श्री हनुमानाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 10 जातियान्–जाट, निवासीयान्–सुथारों की ढाणी, बोड़वा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :– 147 / 18

आदेश

मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल बोड़वा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 30.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पड़ौसियों को नोटिस देने के बाद, दोनो पक्षों की उपस्थिति में, प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 461 – 465 दिनांकः– 25 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रेमाराम पुत्र आसुराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री हनुमानाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु